



2026:AHC:17841

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 252/2026

कल्लाय्या पट्टादमथ @ अक्षय पट्टादमथ

...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह विभाग के माध्यम से यूपी राज्य और अन्य

...विपक्षीगण

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभिनीत जायसवाल, देवव्रत प्रताप सिंह, जी.ए.

विपक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय वकील

न्यायालय संख्या :- 27

ए एफ आर

(माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा प्रदत्त)

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438 सहपठित धारा 442 के तहत दायर इस वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से, पुनरीक्षणकर्ता विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीमा शुल्क), लखनऊ द्वारा आपराधिक मामला संख्या डब्ल्यू/एस मामला संख्या 121571/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबूराव संभाजी माली एवं अन्य), जो कि थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(3), 338, 340(2) व 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी के अंतर्गत पंजीकृत है, में पारित आदेश दिनांक 03.01.2026 की वैधता को चुनौती दे रहा है। आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध उक्त दंडात्मक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। पुनरीक्षणकर्ता ने यह निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है कि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 262(1) के तहत आरोप से मुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने का एक प्रभावी अवसर प्रदान किया जाए और कानून के अनुसार उस पर विचार कर निर्णय लिया जाए।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में सूचनाकर्ता ने दिनांक 30.06.2025 को संबंधित थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने यह उल्लेख किया था कि उसे अपने फेसबुक मैसेंजर और अपने व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर 9763951991 से एक संदेश प्राप्त हुआ था। उक्त नंबर के माध्यम से, उसे केले के पौधों की बिक्री की पेशकश करते हुए कुछ तस्वीरें और वीडियो भेजे गए थे। अज्ञात कॉलर ने सूचनाकर्ता का विश्वास जीतने के लिए एक डीबीटी प्रमाण पत्र भी भेजा था। उसे प्राप्त करने के बाद, सूचनाकर्ता केले के पौधों को खरीदने के लिए सहमत हो गया। अज्ञात कॉलर के जाल में फंसकर, उसने केले के पौधों की खरीद के लिए धोखेबाज (जालसाज) द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न बैंक खातों में कुल 29,25,000/- रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी।

4. जांच के दौरान, यह बात सामने आई कि पुनरीक्षणकर्ता मुख्य आरोपी बाबूराव संभाजी माली और तीन बैंक खाताधारकों, अर्थात् मोहम्मद रफीक, शिव कुमार और बसप्पा के संपर्क में था। यह आरोप है कि पुनरीक्षणकर्ता ने मुख्य आरोपी बाबूराव संभाजी माली और उन तीन बैंक खाताधारकों का परिचय कराया था, जिनके खातों का उपयोग शिकायतकर्ता के खाते से उक्त राशि को हस्तांतरित करने के लिए किया गया था।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि पुनरीक्षणकर्ता न तो कथित राशि का लाभार्थी है और न ही ऐसा कोई आरोप है कि उक्त राशि का कोई भी हिस्सा उसके बैंक खाते में प्राप्त हुआ था।

6. उनका आगे यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बीएनएसएस की धाराओं 261, 262(2), 263 और 341 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आरोप तय किए हैं। पुनरीक्षणकर्ता अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ उक्त अपराधों के संबंध में अभी भी हिरासत में है। उनका आगे यह भी कहना है कि इस संबंध में वैधानिक आवश्यकता होने के बावजूद पुनरीक्षणकर्ता को उन्मोचन

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन (आरोप से मुक्ति की अर्ज़ी) दायर करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। आरोप तय किए जाने के चरण में पुनरीक्षणकर्ता को बी.एन.एस.एस. की धारा 341 के तहत आवश्यक कोई भी कानूनी सहायता अधिवक्ता प्रदान नहीं किया गया था। वास्तव में, पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप तय करने से पूर्व उसे सुनवाई का कोई भी उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं। यहाँ तक कि आरोप तय किया जाना वैधानिक आदेश के विपरीत है और यह विवेक का इस्तेमाल न किए जाने को दर्शाता है।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंधारा सिंह एवं अन्य; ए.आई.आर.1964 एस.सी. 358**, के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि, *'जहाँ किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी गई हो, तो वह कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, और काम करने के अन्य तरीके आवश्यक रूप से वर्जित हैं।'*

8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **सिद्धीकी कम्पन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल 21** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा जताया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में, जहाँ आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के विभिन्न प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 65, 72 एवं 76 के तहत आरोप तय किए गए थे, उन्हें आरोप तय करने में स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाली कतिपय अवैधता और संदिग्धता के आधार पर रद्द कर दिया गया था और मामले को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.12.2022 के उन्मोचन आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने हेतु वापस भेज दिया गया था।

9. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि **सिद्धीकी कम्पन** (उपरोक्त) के मामले के पैरा 18 में, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि आरोपी के लिए यह भी अनिवार्य नहीं है कि उसने उन्मोचन (आरोप से बरी होने) के लिए आवेदन दायर किया ही हो। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी जहाँ उन्मोचन (आरोप से बरी होने) के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय के लिए यह निर्णय लेना अनिवार्य है कि क्या आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध है, लेकिन इस स्तर पर आरोपी को सुनवाई का अवसर देना एक अनिवार्य शर्त है। **सिद्दीकी कप्पन** के मामले में, आरोपी-आवेदक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जो विचारणाधीन था, और न्यायालय ने उस पर विचार किए बिना ही आरोप तय करने की कार्यवाही आगे बढ़ा दी और दिनांक 19.12.2022 को आरोप तय कर दिए गए।

10. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि इस न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आदेश देने से इनकार करने के लिए विवेक का इस्तेमाल करने के साथ-साथ कारणों को दर्ज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अनुपालन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना अनिवार्य है। विधायिका की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोपी के उन्मोचन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 में निर्धारित प्रक्रिया वास्तव में एक सुरक्षा उपाय है ताकि एक व्यक्ति, जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उसे विचारण की कार्यवाही का सामना करने के लिए प्रताड़ित न होना पड़े। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227/228 के तहत आदेश पारित करने के लिए विवेक का इस्तेमाल करने के साथ-साथ कारणों को दर्ज करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

11. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **तमिलनाडु राज्य बनाम आर. सौंदीरारासु एवं अन्य; 2023 6 एस.सी.सी. 768** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा जताया है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि:-

"61. धारा 239 इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष विचार करने की परिकल्पना करती है कि क्या आरोपी के खिलाफ आरोप निराधार है या यह मानने का कोई आधार मौजूद है कि उसने अपराध किया है। इसलिए, धारा 239 जो निर्धारित करती है, वह कोई औपचारिक या सामान्य कागजी प्रक्रिया नहीं है। यह आरोपी के हित में एक मूल्यवान प्रावधान है, और कानून के तहत इसका उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यदि न्यायाधीश, अभिलेख पर विचार करने के बाद, जिसमें यदि कोई परीक्षण हुआ हो और सुनवाई शामिल है, इस राय पर पहुँचते हैं कि यह "मानने का आधार" है कि आरोपी ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है, तो धारा 240 के तहत उनके लिए यह आवश्यक है कि वे आरोपी के खिलाफ लिखित रूप में आरोप तय करें। आरोप तय करने का आदेश भी कोई औपचारिक या सामान्य कागजी प्रक्रिया नहीं है। यह अत्यंत दूरगामी प्रकृति का होता है, और यह इस निर्णय के

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समान है कि आरोपी धारा 239 के तहत बरी होने का हकदार नहीं है, बल्कि इसके विपरीत, यह मानने का आधार मौजूद है कि उसने अध्याय XIX (19) के तहत विचारणीय अपराध किया है और उसे अपना दोष स्वीकार करने के लिए कहा जाना चाहिए तथा उस स्वीकारोक्ति पर उसे दोषी ठहराया और दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा मुकदमे का सामना करना चाहिए। (देखें: वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य 23)।

62. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 यह प्रावधान करती है कि यदि मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप को निराधार मानते हैं, तो वे आरोपी को आरोपमुक्त कर देंगे। हमारी राय में, "निराधार" शब्द का अर्थ यह है कि यह मानने का कोई आधार नहीं होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 में प्रयुक्त "निराधार" शब्द का अर्थ यह है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है या बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

12. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 262, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ((सीआर.पी.सी.) की धारा 239 का समरूपी प्रावधान है। हालाँकि, दोनों प्रावधान समान हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। बीएनएसएस की धारा 262 में कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं। सीआरपीसी की धारा 239 के तहत वारंट मामलों के विचारण में उन्मोचन के पुराने प्रावधानों में, उप-धारा (1) को बीएनएसएस की धारा 262 में एक नया रूप दिया गया है, जिसमें कुछ ऐसी बातें जोड़ी गई हैं जो सीआरपीसी (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 239 के पुराने प्रावधानों में मौजूद नहीं थीं। यह प्रावधान करता है कि "आरोपी, बीएनएसएस की धारा 230 (जो अब निरस्त हो चुकी सीआरपीसी की धारा 207 के समरूपी है) के तहत दस्तावेजों की प्रतियां सौंपे जाने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरोप से मुक्त के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उप-धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि "धारा 193 के तहत भेजी गई पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और आरोपी की ऐसी जांच, यदि कोई हो, जो मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, करने के बाद और अभियोजन तथा आरोपी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार समझता है, तो वह आरोपी को आरोप से मुक्त कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा।"

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. इसी तरह, बीएनएसएस की धारा 262 में (जिसका समरूपी प्रावधान सीआरपीसी, 1973 की धारा 240 के तहत आता है), यह प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसे विचार, जांच (यदि कोई हो) और सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट की यह राय है कि यह मानने का आधार मौजूद है कि आरोपी ने इस अध्याय के तहत विचारणीय कोई ऐसा अपराध किया है, जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और उसकी राय में उसके द्वारा उसे पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह **आरोप पर पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरोपी के खिलाफ लिखित रूप में आरोप तय करेगा।**

14. बी.एन.एस.एस. की धारा 262 से 263 को मिलाकर पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि पहले की सीआर.पी.सी. की धारा 239 और 240 के समरूपी प्रावधानों की तुलना में इस हद तक बदलाव आया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 262 में आरोपी को धारा 230 बी.एन.एस.एस. के तहत दस्तावेजों की प्रतियां सौंपे जाने के 60 दिनों के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन दायर करने का अवसर दिया गया है। इसके साथ ही, बी.एन.एस.एस. की धारा 263 के तहत, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने कोई ऐसा अपराध किया है जो अध्याय XX के तहत विचारणीय है, जिसका विचारण करने के लिए वह सक्षम है और उसकी राय में उसके द्वारा उसे पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए आरोप पर पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरोपी के खिलाफ आरोप तय करना आवश्यक है। इसके विपरीत, सीआरपीसी की समरूपी धाराओं 239 और 240 के तहत ऐसी 60 दिनों की कोई वैधानिक समय-सीमा प्रदान नहीं की गई थी।

15. अतः, उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि, एक तरफ जहाँ यह कानून आरोपी को दस्तावेजों की प्रतियां सौंपे जाने के 60 दिनों के भीतर आरोप से बरी होने के लिए आवेदन करने का अवसर देता है, वहीं दूसरी तरफ अदालत के लिए भी आरोप तय करने हेतु 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जो आरोप पर पहली सुनवाई की तारीख से शुरू होती है।

16. वर्तमान मामले में, आरोपी-पुनरीक्षणकर्ता न्यायिक हिरासत में बंद था और उसे आरोप से बरी होने के लिए आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत का यह कर्तव्य था कि वह आरोपी को कानूनी सहायता अधिवक्ता प्रदान करे ताकि वह बीएनएसएस, 2023 की

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 262(1) के तहत आरोप से बरी होने के लिए आवेदन दायर करने में सक्षम हो सके, और यदि वह आरोप से बरी होने के लिए आवेदन करने का इच्छुक नहीं था, तो भी आरोप तय करने के प्रश्न पर उसे कम से कम सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था; और यह सुनवाई कानूनी सहायता अधिवक्ता की मदद से होनी चाहिए थी, जिसकी सहायता उसे आरोप पर सुनवाई और आरोप तय किए जाने से पहले प्रदान की जानी चाहिए थी।

17. वर्तमान मामले में, दिनांक 3.01.2026 के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्तियों को जेल की हिरासत से पेश किया गया था, उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, और उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की थी। हालांकि, उक्त दिनांक 03.01.2026 के आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों को आरोप तय करने के प्रश्न पर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था या उन्हें आरोप से बरी होने के लिए आवेदन दायर करने का कोई अवसर दिया गया था। उसी दिन, यानी उसी तारीख को, पुनरीक्षणकर्ता और सह-आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। यहाँ तक कि आदेश पत्रिका में भी कहीं यह उल्लेख नहीं है कि आरोप तय करने से पहले उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था।

18. उपरोक्त चर्चा, वैधानिक प्रावधानों और इस विषय पर पूर्वोक्त न्यायिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 262 और 263 में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण दोषपूर्ण हो गई है, जैसा कि दिनांक 03.01.2026 के आदेश और आरोप तय करने से स्पष्ट है।

19. यह सर्वथा स्पष्ट है कि आरोप तय करने के प्रश्न पर पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था; इस संबंध में सी.आर.पी.सी. की धारा 262 और 263 के साथ-साथ सी.आर.पी.सी. की धारा 239 के पूर्ववर्ती प्रावधान, आरोप तय करने से पहले ऐसा अवसर प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. तदनुसार, मुझे वर्तमान पुनरीक्षण में बल दिखाई देता है और दिनांक 03.01.2026 के आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप तय किए गए हैं, को वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण दूषित होने के आधार पर एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

21. मामले को विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने के लिए वापस भेजा जाता है। विचारण न्यायालय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर पुनरीक्षणकर्ता को आरोप से मुक्ति के लिए आवेदन देने का अवसर प्रदान करेगा। तत्पश्चात, अभियोजन और पुनरीक्षणकर्ता दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उक्त आवेदन का निर्णय एक तर्कसंगत और सकारण आदेश पारित करके पूरी तरह से कानून के अनुसार किया जाएगा। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप बनते हैं, तो वह कानून के अनुसार आरोप तय करने की कार्यवाही करेगा।

22. तदनुसार, पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है।

आदेश दिनांक : 11.03.2026

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।